उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्याः– / VIII-1 / 26–32(श्रम) / 2016-TC

देहरादून, दिनांकः 17 फरवरी, 2026

अधिसूचना

राज्य में उत्तराखण्ड दुकान एवं स्थापन अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 3 वर्ष 2018) लागू है, के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम में दुकानों/स्थापनों के खुलने एवं बंद किये जाने के समय के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात दुकान/स्थापन स्वामी कार्य एवं व्यापार की आवश्यकताओं के दृष्टिगत यदि चाहें तो दुकान/स्थापनों को 24×7 खुला रख सकते हैं। परन्तु दुकानों/स्थापनों में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य के घण्टे एवं अवकाश उक्त अधिनियम के प्राविधानानुसार ही रहेंगे।

(डॉ० श्रीधर बाबू अद्दांकी)
सचिव।

संख्या–195 (1) / VIII-1 / 26–32(श्रम) / 2016-TC, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. आयुक्त, गढवाल/कुमांऊ मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. श्रम आयुक्त/मुख्य निरीक्षक, कारखाना उत्तराखण्ड।
5. अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. उप/सहायक निदेशक, कारखाना/बॉयलर, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ज्योति बाला)
अनु सचिव।